पंजीयन संख्या : 68939/98 अंक - 18, वर्ष 24

ज्ञान तत्त्व

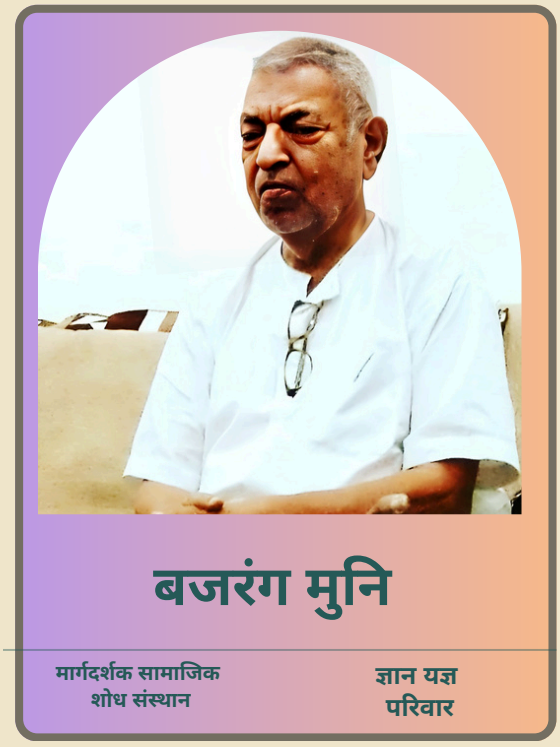

बजरंग मुनि

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान

ज्ञान यज्ञ परिवार

460

सत्यता और निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

सम्पादक : बजरंग लाल अग्रवाल रामानुजगंज (छ.ग.)

पोस्ट की तारीख : 01-12-2024

प्रकाशन की तारीख : 15-11-2024

पाक्षिक मूल्य - /- (रूपये मात्र)

अनुक्रमणिका

सामाजिक विषयों पर मुनि जी के लेख

१.सामाजिक आधार पर राजनीतिक विचारधारा का मार्गदर्शन:
२.सामाजिक एकता का नारा बुलंद करना चाहिए:
३.सामाजिक अनुशासन मानना ही चाहिए:
४.राजनैतिक लाभ हानि के परे सत्यासत्य का उद्घाटन :
५.सहजीवन की अनिवार्यता और व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता:
६.व्यक्तिगत आक्रमण को हथियार बनाना धूर्तों की चालाकी:
७.संविधान की पूजा कैसे
८.नेहरू परिवार का संवैधानिक हस्तक्षेप:
९.स्थिति अनुसार व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए:
१०.सामाजिक प्रतिष्ठा और धूर्तों की ब्लैकमेलिंग का शिकार:
११.मनुष्य की तुलना में जंगली जानवरों का महत्व:
१२.राहुल गांधी में चालाकी नहीं, बहुत अधिक शराफत है:
१३.भारतीय समाज व्यवस्था की दिशा:
१४.राहुल गांधी के लिए आज का अशुभ दिन:
१५.महिलाओं की ब्लैकमेलिंग या विशेषाधिकार:
१६.भारत की समस्याओं पर विश्व स्तरीय सर्वे:
१७.गुरुकुल मतलब ज्ञान-विज्ञान का केंद्र:
१८.संविधान की गंदगी साफ होनी चाहिए:
१९.सम्मान मांग कर नहीं लिया जा सकता:
२०. हिंदू एकता नहीं, सामाजिक एकता का एक अंतिम प्रयास:
२१. सुरक्षा और न्याय, न्यायपालिका का काम:
२२. रुपए के हिसाब से डॉलर नहीं चलता, रुपया हमारी आंतरिक और डॉलर दुनिया भर की मुद्रा है:
२३. समाज और राज्य के बीच शक्ति संतुलन:
२४. समाज के अस्तित्व को अस्वीकारना पश्चिम की नकल:
२५. हमारी दोहरी भूमिका क्योंकि इस मार्गदर्शक है:
२६. गुजरात के अहिंसक गांधी:
२७. ज़ूम पर होने वाले 'चर्चा' कार्यक्रम से :

1. सामाजिक आधार पर राजनीतिक विचारधारा का मार्गदर्शनः

दुनिया में दो राजनीतिक विचारधाराएं सक्रिय हैं। एक तरफ है 'साम्यवाद और तानाशाही' की, दूसरी तरफ है पूंजीवाद और लोकतंत्र की। दोनों के अपने-अपने गुण-दोष हैं। भारत एक तीसरी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह समाज में भी दो विचारधाराएं हैं एक विचारधारा जो कुछ हमारा पुरातन है वह अंतिम है और हम उसमे बदलाव नहीं कर सकते। दूसरी विचारधारा है कि जो आधुनिक है वही श्रेष्ठ है और हम पुरातन को समाप्त करके आधुनिक को स्थापित करेंगे। लेकिन हम लोग मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के लोग एक संस्था के रूप में एक तीसरी विचारधारा को ला रहे हैं और हमारा मानना है कि जो कुछ पुराना है हम उसमें संशोधन करेंगे और जो कुछ आधुनिक दिख रहा है उसे हम आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेंगे। हम वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार विचारधाराओं में संशोधन करेंगे हम किसी की नकल नहीं करेंगे। हम पुरानी अच्छाइयों को भी मानेंगे और पुरानी बुराइयों को भी दूर करेंगे। इसलिए हम लोगों ने प्रतिदिन फेसबुक, व्हाट्सएप रात्रि चर्चा तथा अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों का उपयोग करके समाज में जन जागरण और जनमत परिष्कार की योजना शुरू की है। हम समाज में एक तीसरी दिशा देना चाहते हैं। पिछले दो वर्षों से यह कार्य धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और हमें अच्छी सफलता मिल रही है। राजनीतिक आधार पर नरेंद्र मोदी की टीम इस तीसरी विचारधारा को सफल बना रही हैं। सामाजिक आधार पर हमारा संस्थान इस कार्य को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहा है। हम प्रयत्न करेंगे कि हम राजनीतिक विचारधारा को मार्गदर्शन करें जिससे राजनीतिक विचारधारा की दिशा गलत ना हो। हम राजनीतिक दिशा से यह उम्मीद करेंगे कि वह हमें सुरक्षा और न्याय की गारंटी दे।

2. सामाजिक एकता का नारा बुलंद करना चाहिएः

भारत में साफ तौर पर दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष चल रहा है एक है साम्यवादी विचारधारा और दूसरी है हम लोगों की विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा इस्लामिक संगठनों को अपने साथ जोड़कर चल रही है और हम लोग हिंदू संगठनों को अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं। दोनों विचारधाराओं की यह मजबूरी है कि हमारा पूरा समाज भावना प्रधान होने के कारण संगठनों का सहारा लेना ही पड़ता है। साम्यवाद को मुस्लिम संगठनों के साथ नेहरू परिवार और अन्य विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है तो हम लोगों की विचारधारा को संघ परिवार और हिंदूवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। हम लोगों के ग्रुप में भी दो प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं एक नरेंद्र मोदी को नेता मानते हैं दूसरे योगी आदित्यनाथ को नेता मानते हैं। नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष और समान नागरिक संहिता के पक्षधर है तो योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र और संगठित हिंदुत्व के पक्षधर है। इन दोनों का संघ ताल मेल करता है और इस तरह यह लोग मिलकर

अलग-अलग सोच रखते हुए भी एक साथ साम्यवाद, इस्लाम, नेहरू परिवार से सीधी टक्कर ले रहे हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से संगठित हिंदुत्व का पक्षधर नहीं। हिंदू राष्ट्र को भी महत्व नहीं देता, मैं धर्मनिरपेक्ष और समान नागरिक संहिता का पक्षधर हूँ। स्पष्ट है कि मैं नरेंद्र मोदी की विचारधारा का पक्षधर हूँ, योगी आदित्यनाथ का नहीं। भारत को हिंदू एकता का नारा छोड़कर सामाजिक एकता का नारा बुलंद करना चाहिए। इस सामाजिक एकता के नारे में इस्लाम के विरुद्ध सारा भारत एकजुट हो सकता है जो हिंदू एकता की तुलना में अधिक कारगर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की कानून व्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत किया है उस मॉडल का मैं पूरी तरह समर्थक हूँ, नरेंद्र मोदी मॉडल का नहीं। मैं एनकाउंटर और बुलडोजर संस्कृति को महत्व देता हूं वर्तमान असफल कानून को नहीं। इन दोनों के बीच में यह फर्क है। मैं बहुत चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ हिंदू एकता की बात छोड़कर अपराध नियंत्रण की तरफ ध्यान दें और नरेंद्र मोदी सारी ताकत नक्सलवाद, विदेशी आतंकवाद को रोकने की तरफ लगावें तो संभवत हमारे देश के लिए और समाज के लिए अधिक अच्छा होगा। फिर भी मोहन भागवत दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं इस प्रगति से मैं संतुष्ट हूँ। किसी भी हालत में साम्यवाद संगठित इस्लाम और नेहरू परिवार को समाप्त होना ही चाहिए, चाहे वैचारिक धरातल पर या योगी आदित्यनाथ के मार्ग पर।

3. सामाजिक अनुशासन मानना ही चाहिए:

आज सुबह से हम हिंदुत्व पर चर्चा कर रहे हैं। अभी सायंकालीन सत्र में भी इस विषय पर चर्चा रहेगी। हिंदू धर्म और अन्य धर्म में यह विशेष फर्क है कि हिंदू कोई निश्चित विचारधारा नहीं है बल्कि अनेक अलग-अलग स्वतंत्र विचारधाराओं का एक मंच है जहां कोई भी स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार रख सकता है। उसकी एक बाध्यता आवश्यक है कि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचा सकता। यदि किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाई जाती है तो वह व्यक्ति अपराधी हो जाता है, वह हिंदुत्व से बाहर मान लिया जाता है। हिंदुत्व में कोई निश्चित पूजा पद्धति की बाध्यता नहीं है आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है लेकिन यह अनिवार्य है कि आपको समाज का अनुशासन स्वीकार करना ही होगा। हिंदू धर्म में समाज सर्वोच्च होता है लेकिन व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी आवश्यक होते हैं। समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल नहीं दे सकता और व्यक्ति समाज के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। आप गंभीरता से सोच कर बताइए कि कौन सा ऐसा धर्म है या धर्म ग्रंथ है जिसमें इस प्रकार की स्वतंत्रता और सीमाएं निश्चित हों। इस्लाम एक व्यक्ति की दुकान मानी जाती है। इस्लाम में कुरान अंतिम सत्य है, आप कुरान से हटकर कोई बात कर ही नहीं सकते यहां तक कि यदि आप कुरान से हटकर कोई बात कहते हैं, यदि आप इस्लाम को शुरू करने वाले पर कोई प्रश्न उठाते हैं तो आपको काफिर मान लिया जाता है, आप अपराधी मान लिए जाते हैं। इसाईयत में भी बाइबल को मानना बाध्यकारी है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि हिंदुत्व अन्य सभी धार्मिक मान्यताओं की तुलना में कई गुना अधिक अच्छा है। मैं हिंदुत्व का प्रशंसक हूं लेकिन मैं इस बात का प्रशंसक नहीं हूँ कि हिंदुत्व को भी इस्लाम के सरीखे संकीर्ण बना दिया जाए। हिंदुत्व में भी किसी गाय को मारने वाले को सामाजिक व्यवस्था को सीधे गोली मार देनी चाहिये। यदि कोई व्यक्ति हिंदुत्व पर प्रश्न उठा दे तो हमें उस व्यक्ति को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें सामाजिक अनुशासन मानना ही चाहिए।

4. राज्य व्यवस्था का अनावश्यक हस्तक्षेप सारी समस्याओं की वजहः

2 नवंबर प्रातःकालीन सत्र सामाजिक विषय पर चर्चा। हम सब इस बात से तो पूरी तरह सहमत हैं कि हमारी समाज व्यवस्था कमजोर हुई है और राज्य व्यवस्था मजबूत हुई है। राज्य व्यवस्था ने समाज के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करना अपना अधिकार मान लिया है। यह सच्चाई होते हुए भी हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जब तक समाज व्यवस्था राज्य व्यवस्था की तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं होगी तब तक समस्याएं बढ़ती ही जाएगी। विचारणीय प्रश्न यह है कि समाज व्यवस्था कमजोर क्यों हुई। यदि आप गहराई से विचार करेंगे तो समाज व्यवस्था को कमजोर करने में राज्य व्यवस्था का स्वार्थ अधिक है, समाज व्यवस्था की गलतियां कम। समाज व्यवस्था में भी कुछ गलतियां हुई है जरूर लेकिन वह गलतियां सुधारी जा सकती थी लेकिन हमारी गलतियों के कारण राज्य व्यवस्था ने उन गलतियों का लाभ उठाना शुरू कर दिया और हमारे समाज व्यवस्था को पूरी तरह बदनाम कर दिया, तोड़फोड़ दिया और हम अप्रत्यक्ष रूप से राज्य व्यवस्था पर निर्भर होते चले गए। दुर्भाग्य यह है कि राज्य व्यवस्था ने अनेक समस्याएं पैदा की और सारा दोष सामाजिक बुराइयों पर डाल दिया। हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि समाज व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने का मुख्य कारण राज्य व्यवस्था है, हमारी सामाजिक बुराइयों का योगदान कम है। लेकिन हम अपने आंतरिक चर्चा में समाज व्यवस्था में आई बुराइयों को ठीक करने पर चर्चा नहीं करते बल्कि हम समाज को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। इस तरह सारी अव्यवस्था का कारण समाज व्यवस्था है यह बात राज्य भी खुलकर कहता है और हम भी खुलकर कहते हैं समाज व्यवस्था का मनोबल टूटता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हम आंतरिक चर्चा में सामाजिक सुधारों की बातें कर सकते हैं लेकिन समाज व्यवस्था गलत है और राज्य व्यवस्था ठीक है ऐसा किसी भी स्थिति में कहना ठीक नहीं है। अब हमें खुलकर यह कहना चाहिए कि हमारी सारी समस्याओं का कारण राज्य व्यवस्था का अनावश्यक हस्तक्षेप है। राज्य व्यवस्था हमारी सुरक्षा और न्याय की चिंता करें बाकी चिंता हम कर लेंगे और राज्य व्यवस्था सुरक्षा और न्याय भी नहीं दे पा रही है तो वह हमारी अन्य समस्याओं पर चिंता करना बंद कर दे।

5. सहजीवन की अनिवार्यता और व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता:

भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच में पिछले कुछ वर्षों से लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। दुनिया इस बात को समझ नहीं पा रही है कि इस टकराव में कौन गलत है कौन सही। पश्चिम के देश आंशिक रूप से भारत को गलत मानते हैं, भारत के लोग और भारत सरकार कनाडा को गलत मानती है। इन दोनों के विवाद के बीच में यदि गंभीरता से विचार किया जाए यह सीधा-सीधा सैद्धांतिक टकराव है - दो देशों का टकराव नहीं है, दो सरकारों का टकराव नहीं है, दो व्यक्तियों का टकराव नहीं है बल्कि दो संस्कृतियों का टकराव है। कनाडा और पश्चिम के देश यह मानते हैं कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च है और वह सीमित उद्दंडता तक जा सकती है। यदि आम लोग एकजुट होकर अहिंसक आंदोलन भी करते हैं तो उन्हें इस प्रकार के आंदोलन की स्वतंत्रता होनी चाहिए दूसरी ओर भारत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक सामाजिक सीमा मानता है। भारत मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है लेकिन वह समाज का अंग है, उसे सामाजिक अनुशासन स्वीकार करना ही चाहिए अन्यथा उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति उद्दंडता भी करता है तो उसे दंडित करने का हमें अधिकार है। हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वहीं तक सीमा मानते हैं जब तक किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहीं भी सामाजिक अनुशासन में बाधा पैदा नहीं कर सकती। हमारी इस परिभाषा को पश्चिम नहीं मानता और कनाडा तो बिल्कुल मानता ही नहीं है। इसलिए कनाडा भारत के उपद्रवी तत्वों, जो हिंसा करते हैं, का समर्थन करते हैं, उन लोगों को कनाडा में शरण देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उनको सुरक्षा देता है और भारत इस प्रकार के उपद्रवी तत्वों को अपराधी मानता है, आतंकवादी मानता है और कनाडा को गलत मानता है। मेरे विचार से पश्चिम की संस्कृति की तुलना में भारतीय मान्यता अधिक उपयुक्त है, इस संबंध में कनाडा को फिर से विचार करना चाहिए। बिल्कुल सीधी-सी बात है कि पश्चिम व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को असीम मानता है और भारत प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता को समान भी मानता है और सहजीवन की अनिवार्यता भी मानता है जिसे पश्चिम नहीं मानता। भारत समाज को सर्वाच्च मानता है पश्चिम व्यक्ति स्वातंत्र्य को।

6. व्यक्तिगत आक्रमण को हथियार बनाना धूर्तों की चालाकी:

उच्च चरित्रवान लोगों की यह बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वह अपनी श्रेष्ठता पर किसी भी प्रकार के आरोप से विचलित हो जाते हैं। धूर्त लोग इस प्रकार के उच्च चरित्रवान लोगों पर कीचड उछालते हैं और उस कीचड़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि चरित्रवान लोग अपने चरित्र की सफाई देने लगते हैं या अपने चरित्र पर संदेह करने लगते हैं। इस प्रकार धूर्त लोग अपनी योजना में सफल हो जाते हैं। यह पूरी दुनिया का हाल है, यही भारत का भी हाल है। भारत में भी उच्च चरित्रवान लोग इस समस्या से जूझते रहते हैं। मैं बचपन से ही इस बात को समझ गया था कि इस प्रकार के आक्रमणों का कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह ईमानदार रहा, खान-पान में मैं पूरी तरह सात्विक रहा। शराब, तंबाकू, चाय तक का उपयोग नहीं किया। सामाजिक जीवन में भी मैंने अधिकतम सत्य का प्रयोग किया। सामाजिक जीवन मैं पूरी तरह अहिंसक रहा लेकिन मैंने कभी अपने उच्च चरित्र का दावा नहीं किया बल्कि अपने को दो नंबर का ही घोषित करता रहा। यही कारण है कि मुझे आज भी एक नंबर का माना जाता है जबकि मैं अपनी घोषणा स्वयं दो नंबर के व्यक्ति के रूप में करता हूं। मैं बचपन से ही घोषित कर रखा है कि शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, तस्करी करना, ब्लैक करना यह सब दो नंबर के कार्य है, यह सब कार्य किसी भी प्रकार से अपराध नहीं है इसलिए मैं इस प्रकार के आरोपों से विचलित नहीं हुआ। कल मैं तीन-चार लोगों को इसीलिए कड़ा जवाब दिया कि वह व्यक्तिगत आलोचना करके मेरे चरित्र पर आक्रमण करके मुझे दबाना चाहते थे। वह नहीं जानते थे कि मैंने उनके इन आक्रमणों का बचपन से ही उपाय खोज निकाला है। इसलिए मैं अपने उन धूर्त मित्रों को सलाह देना चाहता हूँ कि वह व्यक्तिगत आक्रमण को हथियार बनाने की मूर्खता मत करें। व्यक्तिगत आरोपों के आपके तीर प्रभावहीन ही साबित होंगे।

7. संविधान की पूजा कैसे करें?:

हम दोपहर के सत्र में संवैधानिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं संविधान के बिल्कुल पक्ष में हूँ। संविधान तो हमेशा रहेगा ही, संविधान रहित कोई भी व्यवस्था हो ही नहीं सकती। संविधान तो परिवार से लेकर राष्ट्र तक का होगा ही, इसलिए किसी भी परिस्थिति में संविधान का विरोध नहीं किया जा सकता। यह जरूर है कि वर्तमान भारत का जो संविधान है उस संविधान में कुछ कमियां है और उन कमियों के दुष्प्रभाव हो रहे हैं इसलिए हम लोग वर्तमान संविधान में कुछ मौलिक संशोधन की बात कर रहे हैं। यदि संविधान में कोई गड़बड़ी है, उसका प्रभाव पूरे समाज पर पडना निश्चित है जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। मैं आपको यह बात साफ कर दूं कि यदि संविधान गड़बड़ होगा तो शराफत हमेशा खतरे में रहेगी जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में कुछ कमजोरी थी यह बात सही है लेकिन संविधान बनाने वालों की नीयत खराब नहीं थी। संविधान लागू होने के बाद जब तंत्र में बुरी

नीयत के लोग आ गए तब उन लोगों ने इस संविधान का दुरुपयोग शुरू किया। हमारे संविधान में तीन महत्वपूर्ण अच्छाइयां थी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का एक अच्छा संतुलन था, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के मामले में एक स्वतंत्र अधिकार प्राप्त था और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार सुरक्षित थे। पटेल जी से मुक्त होते ही पंडित नेहरू ने सबसे पहले न्यायपालिका को नियंत्रित कर दिया। नेहरू ने संसद को सर्वोच्च घोषित कर न्यायपालिका को गुलाम बना लिया। सन 71 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार छीन लिए और राष्ट्रपति को कमजोर बना लिया, साथ ही इंदिरा जी ने मौलिक अधिकारों को भी संवैधानिक अधिकार में शामिल कर लिया और इस तरह हमारे संविधान की तीन अच्छाइयां नेहरू और इंदिरा गांधी ने मिलकर हमसे छीन ली। न्यायपालिका गुलाम हो गई, राष्ट्रपति कमजोर हो गए और मौलिक अधिकार छीन लिए गए। आप बताइए कि हम इस संविधान की पूजा कैसे करें?

8. नेहरू परिवार का संवैधानिक हस्तक्षेपः

आज दोपहर के सत्र में मैंने इस विषय पर चर्चा की थी कि किस तरह नेहरू और इंदिरा गांधी ने ही बहुत चालाकी से लोकतंत्र के मूल प्रारूप को बदल दिया और उसका दुरुपयोग किया। मैं जानता था कि यह विषय इतना जटिल है कि भारत के 99ः लोग तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ना तो उन्हें संविधान का ज्यादा ज्ञान है और ना इसकी बारीकियां का ज्ञान है फिर भी मुझे काफी संतोष हुआ कि 14 लोगों ने इस गंभीर विषय पर भी मेरा लाइक किया। प्रश्न या उत्तर तो किसी ने नहीं दिया जैसी मुझे उम्मीद भी थी। मैं उसको थोड़ा सा और साफ करना चाहता हूँ। लोकतंत्र की तीन मुख्य अवधारणाएं मानी जाती हैं पहले यह है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार सुरक्षित हों, मौलिक अधिकारों में तंत्र अथवा संविधान भी किसी प्रकार का कोई बदलाव न कर सके क्योंकि मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त होते हैं। दूसरी बात लोकतंत्र की यह मानी जाती है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका इन तीनों के बीच समान संतुलन हो ना कोई एक ऊपर हो और ना कोई नीचे, एक-दूसरे के साथ बराबरी के आधार पर चेक एंड बैलेंस हो। तीसरा यह माना जाता है कि संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार तंत्र के पास सुरक्षित ना हो उसमें लोक का भी किसी न किसी प्रकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष यह सब राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति तंत्र का भाग नहीं है, लोक का प्रतिनिधि है। मैं यह बात भी साफ कर दूं कि राष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेते। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अन्य सब की अपेक्षा अलग होता है जबकि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष इन सब का शपथ का प्रारूप अलग होता है। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की भूमिका इन सबसे कुछ अलग मानी गई है। परंतु पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने बड़ी चालाकी से न्यायपालिका, मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रपति के अधिकार कम कर दिए और इसी के कारण भारत की सारी संवैधानिक व्यवस्था असंतुलित हो गई है, गड़बड़ हो गई है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप यदि इस विषय में कुछ बता

सकते हैं तो बताइए पूछ सकते हैं तो पूछिए। यदि कोई नई बात जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। मैं जानता हूँ कि राहुल, अखिलेश सरीखे बच्चे तो इस विषय में कोई रुचि रखते ही नहीं है उन्हें तो इस बात से मतलब ही नहीं है कि संविधान में क्या है और संविधान का मूल स्वरूप क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? लोकतंत्र क्या है? उन्हें तो केवल इतना ही पता है कि हमारी कुर्सी क्या है? फिर भी आप सब लोग इस विषय में खुलकर चर्चा करें। मैं आप सब की चर्चा की प्रतीक्षा करूंगा।

9. स्थिति अनुसार व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए:

सामाजिक मामलों में स्वामी दयानंद, विवेकानंद के बाद सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका गांधी की रही है। गांधी ने अनेक सामाजिक बुराइयों पर सामाजिक समाधान सुझाए और उनका अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन गांधी से तीन ऐसी गलतियां हुई जिनका आज भी समाज पर दुष्प्रभाव दिख रहा है। गांधी ने अपने जीवन काल में यह बात कही थी कि राज्य को न्यूनतम हिंसा का प्रयोग करना चाहिए यह बात गांधी ने अंग्रेजी शासन के समय कही थी, अंग्रेजों के लिए कहा था, स्वतंत्र भारत के लिए नहीं। लेकिन इस बात को गांधीवादियों ने भी एक सिद्धांत मान लिया और गांधी के बाद स्वतंत्र भारत की सरकारों ने भी। इस कथन का इतना दुष्प्रभाव हुआ कि राज्य निकम्मा हो गया और समाज में हिंसा बढ़ती चली गई, यह गांधी की एक पक्षीय अहिंसा का दुष्प्रभाव था। दूसरी बात गांधी ने शराब के बारे में कहीं कि यदि मैं तानाशाह होता तो एक कलम की नोक पर शराब को कानून से बंद कर देता, गांधी के इस कथन का भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जो विचारक थे, समाज सुधारक थे, उन लोगों ने अपना काम बंद कर दिया और सब सरकार पर अपनी जिम्मेदारी डालने लगे। आज भी हमारे धर्मगुरु सरकार से ही मांग करते हैं कि सरकार शराब रोके। तीसरी बात गांधी ने यह गलती की। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यह सिद्धांत बताए। गांधी ने अपनी गलतियां भी समाज के सामने उजागर कर दीं, गांधी ने जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया, वह भी समाज के सामने प्रस्तुत कर देना अनावश्यक था, उसका कोई उपयोग नहीं था। लेकिन गांधी की सत्य के प्रति इतनी सैद्धांतिक निष्ठा आज भी गांधी को बदनाम करने वालों के लिए शस्त्र का काम कर रही है। मैंने गांधी की इस गलती से शिक्षा ली और मैं हमेशा यह कहता रहा कि मैं समाज के सामने सच बोलूंगा लेकिन स्थिति अनुसार सच को छिपा भी सकता हूँ। मैंने यह बात साफ की कि शत्रु के सामने झूठ बोल सकता हूँ विरोधी या आलोचक के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, भले ही सच को छुपा लूंगा। यह बात सही है कि मैं स्थिति अनुसार सच को छिपा जाता हूँ और शत्रु के सामने झूठ बोल देता हूँ। मेरे विचार से हमें स्थिति अनुसार व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। राज्य को अधिकतम हिंसा की छूट देनी चाहिए, समाज सुधार के कार्यों से राज्य को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए और सत्य की संशोधित परिभाषा के आधार पर आचरण करना चाहिए।

10. सामाजिक प्रतिष्ठा और धूर्तों की ब्लैकमेलिंग का शिकार:

यह सच है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से हम लोग धूर्तों से ब्लैकमेल होते रहते हैं और धूर्त हमारा शोषण करते हैं। यही सामाजिक प्रतिष्ठा का उपयोग धूर्त महिलाएं भी करती हैं, मीडिया वाले भी करते हैं, धूर्त नेता भी करते हैं। वह हम लोगों पर छोटे-छोटे लांछन लगाते हैं और हम लोग प्रतिष्ठा के डर से उनके ब्लैकमेलिंग के शिकार बन जाते हैं। हम लगातार दस वर्षों से देख रहे हैं। व्यक्तिगत मामलों में तो मैं इस प्रकार के धूर्तों से बच गया लेकिन राष्ट्रीय मामलों में हमारी सभी संवैधानिक संस्थाओं के लोग इन धूर्तराजनेताओं से ब्लैकमेल होते रहे। यही कारण है कि इन मुट्ठी भर धूर्त नेताओं ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, पत्रकारिता, धर्म गुरु सब पर आरोप लगाने में पहल की और हम लोग उन आरोपों से प्रभावित हुए। अभी चार दिन पहले ही समाचार आया है कि मध्य प्रदेश के एक बड़े भाजपा नेता राघव जी का झूठ बोलकर चरित्र हनन किया गया था और उनका राजनीतिक कैरियर झूठ बोलकर बर्बाद कर दिया गया। तेरह वर्षों के बाद न्यायालय से सिद्ध हुआ कि आरोप झूठ था। इस मामले में संघ के लोग कुछ ज्यादा ही शिकार बनते हैं क्योंकि संघ के लोगों में व्यक्तिगत चरित्र का बहुत अधिक महत्व है और चरित्रहीन नेता संघ के लोगों को आसानी से शिकार बना लेते हैं। लेकिन यह कोई एकमात्र घटना नहीं है पिछले कई वर्षों में इस प्रकार के झूठे आरोपों के कारण हम लोग अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन को नुकसान में डालते रहे। बड़ी मुश्किल से वर्तमान चुनाव आयुक्त ने हिम्मत करके मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया है जिसके जवाब में खड़गे जी ने भी उन पर मुकदमा करने की धमकी दी है। मामला अब चुनाव आयोग तक ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि अब सभी संवैधानिक संस्थाओं को सामने आकर इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इन झूठे आरोप लगाने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक टीम खड़ी कर रखी है। जब चाहे तब कभी कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण किसी पर भी आरोप लगा देते हैं प्रशांत भूषण को तो एक न्यायाधीश ने एक रूपया का दंड लगाकर कुछ जवान बंद कर दी है लेकिन कपिल सिब्बल की जवान अभी भी उसी तरह चलती रहती है क्योंकि इसी प्रकार के आरोपों पर तो इनकी दुकानदारी बढ़ती रहती है। समय आ गया है कि अब इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। महिलाओं के मामले में भी हिम्मत करके सामने आने की जरूरत है। ब्लैकमेलिंग सफल होने की तुलना में सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान अधिक अच्छा है अब सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह मत कीजिए, ब्लैकमेलिंग करने वालों पर आक्रमण कीजिए।

11. मनुष्य की तुलना में जंगली जानवरों का महत्व:

दोपहर के सत्र में हम मनुष्य और जंगली जानवर के बीच चर्चा कर रहे हैं। बात सच है भारत में मनुष्य की तुलना में जंगली जानवरों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में ही कई जगह लकड़बग्घों ने कई लोगों की हत्याएं कर दी लेकिन सरकार ने किसी भी जंगली जानवर को रोकना या मारना उचित नहीं समझा। उनको पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, तीन-चार महीने तक रोज टीवी में नाटक चलता रहता था लेकिन उन्हें मार नहीं सकते थे क्योंकि यह बहुमूल्य जानवर थे। हम बहुत लंबे समय से निरंतर इस बात की मांग उठाते रहे कि यदि जंगली जानवर सरकार के लिए मनुष्य से भी अधिक जरूरी है तो इन जंगली जानवरों के द्वारा मारे गए मनुष्यों को अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। मैं एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूं जो देश का बड़ा जंगली इलाका है। छत्तीसगढ़ जंगलों से घिरा है। छत्तीसगढ़ के भी मैं बलरामपुर जिले में रहता हूँ, जो बहुत घने जंगलों वाला है। हमारे जिले में भी जंगली हाथी आमतौर पर प्रतिमाह एक हत्या कर देते हैं लेकिन हमारी सरकार उन्हें दो-तीन लाख रुपये मुआवजा देकर के पिंड छुड़ा लेती है जबकि दूसरी ओर यदि किसी की हत्या रोड एक्सीडेंट में हो जाए या कोई किसी अन्य दुर्घटना में मर जाए तो उसे 5 लाख रुपया मुआवजा दे दिया जाता है। इस अन्याय के विरुद्ध हम हमेशा मांग करते रहे। मुझे खुशी हुई कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज यह घोषणा करके हम लोगों को प्रसन्न कर दिया कि अब यदि मध्य प्रदेश में कोई जंगली जानवर किसी भी मनुष्य की हत्या कर देगा तो उसका मुआवजा सरकार 25 लाख रुपया देगी। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी प्रकार मुआवजा नीति पर फिर से विचार करें, जिससे ग्रामीण शहरी का भेदभाव खत्म हो जिससे गरीब अमीर का भेद घटे जिससे सरकार इस कलंक से बच जाए कि सरकार मनुष्य की तुलना में जंगली जानवर को अधिक महत्व देती है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने पहल की है।

12.राहुल गांधी में चालाकी नहीं, बहुत अधिक शराफत है:

नेहरू परिवार के पूरे राजनीतिक जीवन में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को बहुत चालाक राजनीतिज्ञ माना जाता है, इन्होंने हमेशा कम्युनिस्टों को अपनी उंगली पर नचाए रखा। इन्होंने कम्युनिस्टों का पूरा उपयोग किया। लेकिन इस पूरी पीढ़ी में राहुल गांधी को अत्यंत शरीफ माना जाता है। राहुल गांधी किसी का उपयोग नहीं कर पाते बल्कि दूसरे लोग ही राहुल का उपयोग कर लेते हैं। राहुल गांधी में चालाकी बिल्कुल नहीं है, बहुत अधिक शराफत है। आपको कभी भी कोई ऐसा चालाक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कभी किसी पर गुस्सा होता हो, आपको कभी नहीं दिखेगा कि कम्युनिस्ट का कभी चेहरा लाल होता हो। कम्युनिस्ट जिसको छुरा मारेंगे, उसके साथ भी हंस कर बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी में इस प्रकार के कोई भी राजनीतिक गुण नहीं है। राहुल गांधी जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, राहुल गांधी जिसको वचन देते हैं उसको अंत तक निभाते हैं, राहुल भ्रष्टाचार भी पसंद नहीं करते। यह राहुल गांधी के अच्छे गुण तो माने जाते हैं लेकिन राजनीतिक गुण नहीं माने जाते। इसीलिए आज यह देश और समाज का दुर्भाग्य है की भारत के कम्युनिस्ट राहुल गांधी का पूरा उपयोग कर रहे हैं। इस विषय में राहुल गांधी को गंभीरता से सोचना चाहिए।

13. भारतीय समाज व्यवस्था की दिशा:

अगले तीन दिनों तक हम इस विषय पर विचार करेंगे कि वर्तमान दुनिया में और विशेष रूप से भारत में हमारी समाज व्यवस्था जिस दिशा में जा रही है, वह हम आप सबके लिए चिंता का विषय है। हमारे अधिकार तीन प्रकार के होते हैं - एक है प्राकृतिक अधिकार, एक है संवैधानिक अधिकार और एक है सामाजिक अधिकार। प्रकृति प्रदत्त अधिकार हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, उनसे समाज या संविधान कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संवैधानिक अधिकार हमें देश का संविधान देता है और देश के संविधान में संशोधन भी कर सकता है, बदलाव भी कर सकता है। सामाजिक अधिकार हमें विश्व व्यवस्था देती है, समाज देता है जिसमें समाज कभी भी कोई बदलाव कर सकता है। स्पष्ट है कि हमें सुविधा संविधान देता है, हमें प्रशंसा समाज देता है। मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य किसी भी अधिकार पर हम किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि प्रशंसा और सुविधा हमें दूसरों से प्राप्त होती है, वह हमारा अधिकार नहीं है। लोग हमारी प्रशंसा करें या ना करें, लोग हमें सुविधा दें या ना दें, यह उनकी मर्जी है हमारी मर्जी नहीं है। आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम सुविधा मांगते हैं हम सुविधाओं के लिए आंदोलन करते हैं हम सुविधाओं के लिए धरना देते हैं। यह तो वास्तव में बहुत ही बुरी आदत है और दुर्भाग्य यह है कि हमारे समाज में एक बुरी कहावत प्रचलित हो गई है कि रोए बिना तो मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती यह बहुत ही बुरी कहावत है और वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह कहावत घर कर गई है। आप विचार करिए कि इस कहावत के कारण हर आदमी स्वार्थ की दिशा में बढ़ता जा रहा है, वह कर्तव्य नहीं करना चाहता, अधिकार की चिंता कर रहा है, यह हमारे पूरे विश्व समाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक दिशा है जिस दिशा में समाज बढ़ रहा है। यही कारण है कि वर्तमान समय में धीरे-धीरे अधिकारों की सुविधाओं की प्रशंसा की छीना-झपटी शुरू हो गई है, कर्तव्य करने वालों की संख्या घट रही है, अधिकार मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हम इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करें।

14. राहुल गांधी के लिए आज का अशुभ दिन:

सायंकालीन सत्र में राजनीतिक विषय के अंतर्गत हम राहुल गांधी के लिए आज के अशुभ दिन की चर्चा करते हैं। चुनाव में राहुल गांधी ने बहुत जोर-जोर से यह बात उठाई थी कि हम देश के सभी संसाधनों की जांच कराएंगे और उसे समाज में जरूरतमंदों को बांट देंगे। आर्थिक असमानता कानून के द्वारा कम कर दी जाएगी। इस बात का नरेंद्र मोदी ने खुलकर विरोध किया था लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर कल तक अड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे गुब्बारे को कल फोड़ दिया और घोषणा कर दी कि आप इस प्रकार कोई व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे कि कम्युनिस्ट के गुब्बारे के बल पर राहुल गांधी बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे थे और कल से ही मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी तो चुप है लेकिन कम्युनिस्ट छोटे से बड़े तक सभी बिलों में से निकलकर सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने में सामने आ गए हैं। मैंने कल से आज तक कई ऐसे छोटे-छोटे कम्युनिस्टों के भी लेख पड़े जो दिन रात सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध प्रचार करने में लग गए हैं।

एक दूसरा समाचार यह आया कि ट्रंप बड़े बहुमत से चुनाव जीत गए हैं। यह बात स्पष्ट है कि ट्रंप के खिलाफ कमला हेरीश को राहुल गांधी, भारत के मुसलमान और कम्युनिस्टों का खुला समर्थन प्राप्त था जबकि भारत के कुछ हिंदू और नरेंद्र मोदी छिपकर ट्रंप का समर्थन कर रहे थे। भारत में कोई भी ट्रंप के समर्थन में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि कम्युनिस्टों ने भारत में ऐसा वातावरण बना दिया था कि चुनाव तो सिर्फ कमला ही जीतेंगी। ट्रंप की कोई गिनती नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ट्रंप भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। ट्रंप ने खुलकर हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई और अमेरिकी मुसलमान के मामले में भी ट्रंप ने शिया और सुन्नी में बांट दिया। सुन्नी लोग इस मामले में चुप हो गए और शियाओं ने सिर्फ ट्रंप का विरोध किया। इस तरह अमेरिका के चुनाव में भी राहुल गांधी का मुंह बंद हो गया है। आज तो राहुल गांधी कोई प्रतिक्रिया लिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि बेचारे दुःख के बादल में फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूं राहुल गांधी अब पूंजीवाद का अंधविरोध करना छोड़े। दुनिया पूंजीवाद और लोकतंत्र की दिशा में बढ़ रही है और राहुल गांधी उस मरे हुए साम्यवादी घोड़े की सवारी कर रहे हैं।

15. महिलाओं की ब्लैकमेलिंग या विशेषाधिकार:

7 नवंबर प्रातःकालीन सत्र में सामाजिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल प्रातः हमने चर्चा की थी कि जो लोग सामाजिक अधिकार या सम्मान की मांग करते हैं वह बुरे लोग माने जाते हैं। कभी भी सामाजिक अधिकार अथवा सामाजिक सम्मान मांगा नहीं जाता बल्कि स्वेच्क्षा से दिया जाता है। इसी के अंतर्गत आज हम विचार करेंगे कि किस प्रकार भारत में मुट्ठी भर महिलाएं दिन-रात अधिकार की मांग करती है, सम्मान की मांग करती है, पूरे समाज को ब्लैकमेल करती हैं। यह मुट्ठी भर महिलाएं अपने को जन्मदाता मानती है। इनका तो यह दावा है कि हम माता ने आप लोगों को जन्म दिया है और इसलिए हम सम्मान की पात्र हैं। हमें सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। इन धूर्त महिलाओं से यह प्रश्न किया जाना चाहिए कि आज तक दुनिया में कौन ऐसी महिला है जिसने बिना पुरुष के सहयोग के किसी संतान को जन्म दिया हो। संतान की जो जन्म होती है उसमें पुरुष की भी मुख्य भूमिका होती है लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सम्मान देने के लिए इन माता को जन्मदाता कहते हैं और यह धूर्त महिलाएं उस जन्मदाता शब्द का दुरुपयोग करती है। जो महिला अपने को जन्मदाता कहे, सम्मान की मांग करें, अधिकारों के लिए संघर्ष करें, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करें उसे दूर धक्का दे दीजिए। वह महिला नहीं है, वह धूर्त आंदोलनजीवी है। मेरा आपसे यह नम्र सुझाव है कि माता को सम्मान दीजिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए। यह हम सब का कर्तव्य है लेकिन इन धूर्त महिलाओं का अधिकार नहीं है कि वह हमसे सम्मान मांगे, वे अधिकार मांगे। वे संवैधानिक अधिकार मांग सकती है, मौलिक अधिकार की गारंटी ले सकती है लेकिन सामाजिक अधिकार मांगने वाले धूर्तो से दूर हो जाना चाहिए। मैं महिला और पुरुष में किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध हूँ और जो महिलाएं ऐसा करती हैं, वह महिलाएं समाज में बहिष्कार की पात्र है।

16. भारत की समस्याओं पर विश्व स्तरीय सर्वे:

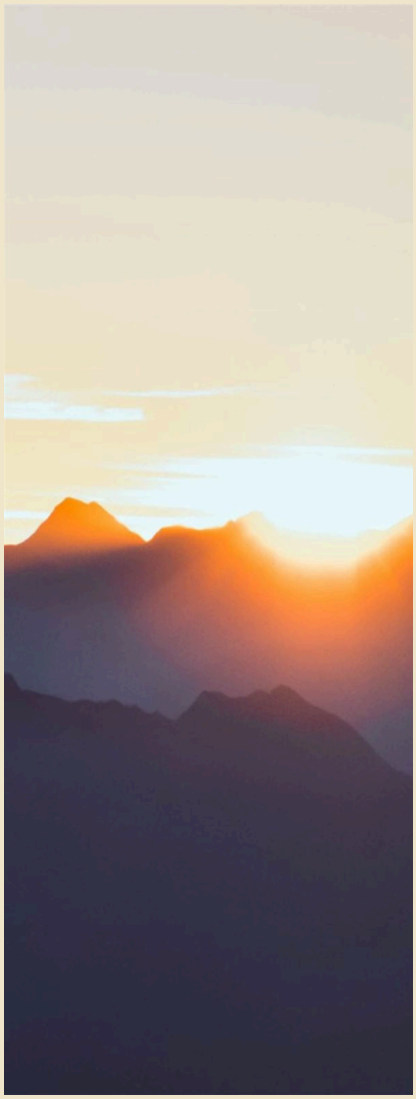

मैं बचपन से ही लिखता रहा और अभी तक अपनी बात पर कायम रहा कि भारत की वास्तविक समस्याएं सिर्फ हिंसा और जालसाजी यही दो समस्याएं वास्तविक है बाकी कोई वास्तविक समस्या नहीं है। कुछ समस्याएं राज्य ने बढ़ाई है उनमें है चरित्र पतन, सांप्रदायिकता, जातीय कटुता, आर्थिक असमानता और श्रम शोषण यह पांच समस्याएं राज्य द्वारा बढ़ाई गई है। अन्य जितने भी समस्याएं हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, आदिवासी, हरिजन उत्पीड़न, यह सब सत्य समस्याएं नहीं हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मेरी बात को देश के लोग मानने को कभी तैयार नहीं हुए। देश के लोग तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, आदिवासी हरिजन उत्पीड़न इन सबको ही समस्याएं मानते रहे। कल पहली बार विश्व स्तरीय सर्वे आया है और उस सर्वे में या बात बताई गई है कि भारत में धीरे-धीरे हिंसा और बल प्रयोग तथा जालसाजी, धोखाधड़ी से त्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और भारत की जनता धीरे-धीरे यह कहने लगी है कि महंगाई बेरोजगारी यह समस्याएं नहीं के बराबर हैं। इन समस्याओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है। सर्वेक्षण से मेरी यह बात पुष्ट होती है कि जो बात मैं 70 वर्ष पहले बोल रहा था वह बात आज दुनिया धीरे-धीरे स्वीकार कर रही है। उस बात को भारत की जनता की मोहर लग रही है। मुझे यह पूरा विश्वास है कि अगले दो-चार वर्षो में भारत की पूरी आबादी यह समझ जाएगी की हिंसा और स्वार्थ यही सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई और बेरोजगारी नाम की कोई समस्या है ही नहीं यह राजनेता जनता को धोखा देने के लिए महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हाईलाइट करते हैं। मुझे वर्तमान सर्वेक्षण से बहुत मजबूती मिली है। मेरा उत्साह बढ़ा है। जो भी लोग महंगाई बेरोजगारी का हल्ला करते हैं, उनकी नीयत खराब है।

17. गुरुकुल मतलब ज्ञान-विज्ञान का केंद्रः

हम प्रातःकालीन सत्र में सामाजिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां बच्चों को ज्ञान मिलता था। धीरे-धीरे गुरुकुलों को बदलकर स्कूल शुरू कर दिए गए जहां ज्ञान नहीं मिलता, शिक्षा मिलती है। प्राचीन समय में गुरुकुल में ज्ञान देने वाले शिक्षकों का बहुत सम्मान था। वह आमतौर पर सरकार के गुलाम नहीं थे। बाद में धीरे-धीरे वे सरकारी नौकर होते गए और उनका सम्मान था लेकिन वेतन बहुत कम था। स्वतंत्रता के बाद सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बहुत अधिक दुर्दशा हुई, कम वेतन के कारण कोई बड़ी मुश्किल से ही सरकारी शिक्षक बनना चाहता था अन्यथा अन्य लोग अन्य पदों पर जाना चाहते थे। बाद के कालखंड में सरकारी स्कूल के शिक्षकों का सम्मान तो घट गया लेकिन सामाजिक मांग के प्रभाव में आकर उनका वेतन बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। अब स्कूलों के शिक्षक अपने को ज्ञान दाता कहते हैं जबकि उनका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। अब वह सम्मान चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अब यह शिक्षक गुरुजी नहीं है, सरकारी नौकर हैं कोई शिक्षक यदि हड़ताल करता है, आंदोलन करता है तो उनको लात मारकर भगाने की जरूरत है क्योंकि वह शिक्षक नहीं है, गुरु नहीं है, सरकारी नौकर है। सरकारी नौकर को सम्मान चाहिए तो वह पूरी तरह गलत है। अब हमारे शिक्षक ज्ञान दाता नहीं है लेकिन वे घमंड करते हैं कि वे ज्ञान दाता है। अरे कैसा ज्ञान दाता! मैंने तो तुमसे शिक्षा खरीदी है, तुमको पैसा दिया है, तू कैसा दाता हो गया। महिलाएं कहती है जन्मदाता, किसान कहता है अन्नदाता, शिक्षक कहता है ज्ञान दाता। यह सब ज्ञान दाता नहीं है पेशेवर हैं पैसा लेकर देते हैं इसलिए इस प्रकार के लोगों का अब सम्मान करना उचित नहीं है जो आंदोलन करते हैं इन सब आंदोलनकारियों को मार भगाइए। कोई गुरु, कोई शिक्षक आंदोलन नहीं करता, नौकर आंदोलन करते हैं।

18. संविधान की गंदगी साफ होनी चाहिए:

दोपहर के सत्र में हम संवैधानिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया जिसका श्रेय अंबेडकर को दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि संविधान जिसने भी बनाया हो लेकिन उनकी नीयत खराब नहीं थी। हम उस संविधान का आज भी सम्मान करने को तैयार है कुछ छोटी-मोटी कमियां हैं वे सुधारी जा सकती हैं अन्यथा मूल रूप से संविधान अच्छा था। लेकिन बाद में नेहरू ने मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन कर करके उसे गंदा कर दिया। मैं संविधान के लागू होने के बाद जो संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को आंख बंद करके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उस बदले गए संविधान की पूजा करना उचित नहीं समझता। मेरा यह मानना है कि 1950 के बाद संविधान में जो भी संशोधन किए गए हैं, उन संशोधनों पर फिर से विचार होना चाहिए। एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो संविधान सभा संविधान लागू होने के बाद किए गए मनमाने संशोधनों की समीक्षा करें और जो संशोधन ठीक हो वह मान्य कर लिए जाए। यदि आप इतना भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो आप एक तारीख तय कर दीजिए इस तारीख के पहले किए गए संशोधन पर विचार नहीं होगा इस तारीख के बाद किए गए संशोधनों पर विचार होगा लेकिन मैं बाद में किए गए मनमाने संशोधनों को आंख बंद करके पूजा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा आज भी यही आग्रह है कि हम नेहरू परिवार द्वारा लगातार गंदे किए गए संविधान को साफ करने की मांग करें। हम गंदगी में जीना उचित नहीं समझते गंदगी साफ होनी चाहिए, जिस मात्रा में संभव हो उसी मात्रा में हो लेकिन गंदगी साफ तो होनी चाहिए। साथ ही यह गारंटी भी दी जानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी राजनेता संविधान के साथ मनमानी छेड़छाड़ न कर सके और उसे संविधान सभा की स्वीकृति लेनी आवश्यक हो।

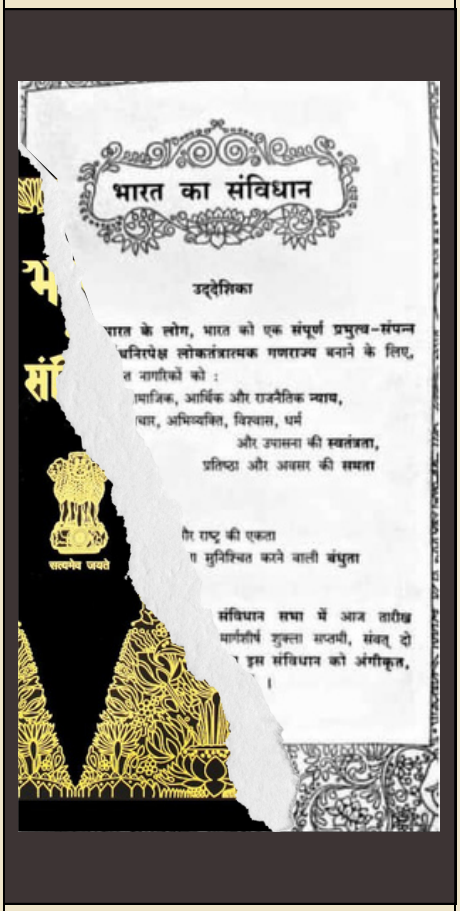

19. सम्मान मांग कर नहीं लिया जा सकता:

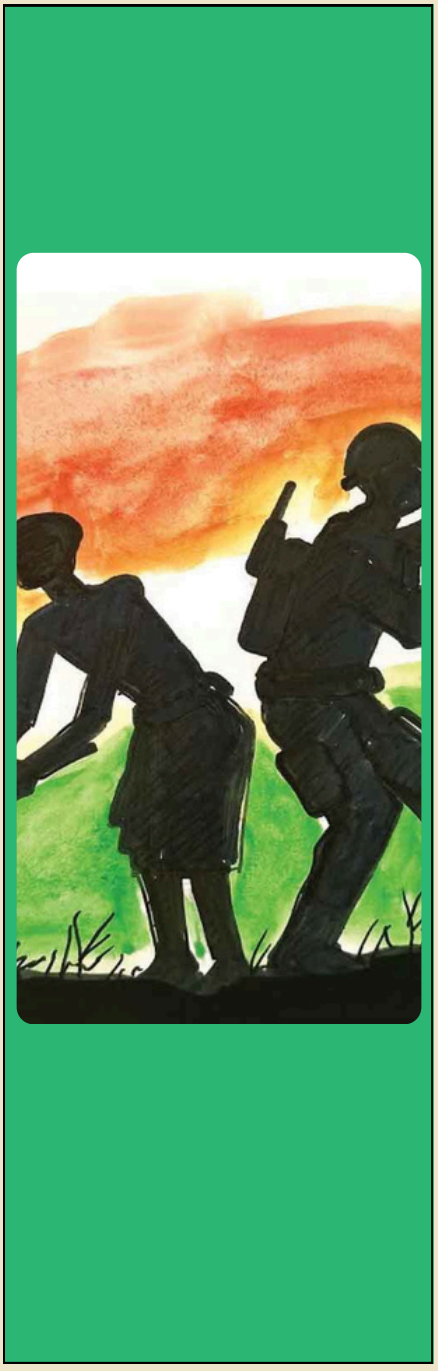

11 नवंबर प्रातःकालीन सत्र में हम अपने देश के सैनिकों पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में हम सैनिकों पर बहुत गर्व करते हैं हर सैनिक का देश में बहुत सम्मान रहता है क्योंकि वह अपनी जान पर खेल कर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। इसके साथ-साथ यदि कहीं कोई प्राकृतिक बड़ी आपदा भी आ जाती है तो यह सैनिक अपनी जान पर खेल कर हमारी मदद करते हैं। यही कारण है कि हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने देश के सैनिकों पर गर्व करते हैं। उन्हें अधिक से अधिक सुविधा भी देने का प्रयास करते हैं और सम्मान भी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि हमारे देश के सैनिक सम्मान की तुलना में सुविधा की अधिक मांग करने लगे हैं। वे सरकारी नौकरी को महत्व देने लगे हैं वे देश से सुविधा और सम्मान की मांग करने लगे हैं वे चाहते हैं कि देश को पूरी तरह से लूट लिया जाए उनका कहीं पेट भरता ही नहीं है। यदि हमारे सैनिकों की सुविधाओं का आकलन किया जाए तो वह सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कई गुना बहुत अधिक है, इसके बाद भी वह अपने को संतुष्ट नहीं मानते। हमारे देश के सैनिक यह मानने को तैयार नहीं है कि किसान भी एक सैनिक है, शिक्षक भी एक सैनिक है।

वह तो यह मानते हैं कि जो लोग सेना में है, बस वही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है। बहुत कष्ट होता है जब हमारे देश के सैनिक सारी सुविधा और सारा सम्मान मिलने के बाद भी जंतर-मंतर पर आंदोलन करते हैं, वह शहीद होने की मांग करते हैं, वे वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं यदि एक रोटी जली हुई मिल जाए तो वह उसके लिए हंगामा खड़े करते हैं। गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है कि हम देश के सैनिकों का तो दिल से सम्मान करने को तैयार हैं। अपने से कई गुना अधिक सुविधा देने को तैयार है लेकिन हम अपने नौकरों को इतना अधिक सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश के सैनिक इस मुद्दे पर विचार करें कि उन्हें सम्मान चाहिए या सुविधा। जो लोग सम्मान और सुविधा के लिए आंदोलन करेंगे उन्हें तो हम नौकर से ज्यादा मानने को तैयार नहीं है। सम्मान मांग कर नहीं लिया जा सकता, सम्मान जंतर-मंतर से नहीं लिया जा सकता, सम्मान के लिए आंदोलन नहीं किया जा सकता, सम्मान के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, सम्मान स्वप्रेरणा से दिया जाता है।

20. हिंदू एकता नहीं, सामाजिक एकता का एक अंतिम प्रयास:

सायंकालीन सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में जितनी हत्याएं और अपराध धर्म के नाम पर हुए हैं, उतनी हत्याएं अपराधियों ने नहीं की है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि धर्म समाज को मार्गदर्शित करता है, राह बताता है, धर्म का हत्याओं से क्या संबंध हो सकता है। लेकिन यह बात भी सच है कि धर्म के नाम पर ही हत्याएं हुई है और इन सभी हत्याओं में एक पक्ष मुसलमान का जरूर रहा है चाहे यह टकराव ईसाइयों से हो, हिंदुओं से हो, बौद्धों से हो या किसी अन्य से हो। वर्तमान भारत भी धीरे-धीरे इस दिशा में जाता दिख रहा है क्योंकि नेहरू परिवार और राहुल गांधी आंख बंद करके इस्लाम की विभाजनकारी ताकत का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सत्ता में होने के कारण हिंदू 70 वर्षों तक दबा रहा दूसरे दर्जे का नागरिक बना रहा लेकिन मजबूरी में हिंदुओं ने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। वर्तमान भारत में यह साफ स्थिति दिख रही है कि यह टकराव बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे शख्स दिखते हैं जो इस टकराव को टालना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सामाजिक एकता हो परन्तु धर्म के नाम पर ध्रुरुवीकरण ना हो। लेकिन राहुल गांधी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर अब हिंदू पक्ष भी धीरे-धीरे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टकराने के लिए तैयार होता दिख रहा है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं यह टकराव घातक होगा लेकिन मजबूरी दिख रही है। हम लोग पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े हैं लेकिन अगर राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया तो फिर योगी आदित्यनाथ मैदान में डटकर खड़े हो जाएंगे। हम लोग हिंदू एकता के पक्षधर नहीं है, हम सामाजिक एकता के पक्षधर है लेकिन अगर शरिया और मनु के बीच में टकराव होगा तो हम मनु के साथ ही खड़े होंगे शरिया का विरोध करेंगे, चाहे राहुल गांधी कुछ भी सोचे। फिर भी अभी समय है कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंस संग्राम को टालने का प्रयास करें। मजबूरी में जो होना होगा वह तो होगा ही। हमें हिंदू एकता नहीं, सामाजिक एकता का एक अंतिम प्रयास कर लेना चाहिए।

21. सुरक्षा और न्याय, न्यायपालिका का काम:

भारत की न्यायपालिका पर सस्ती लोकप्रियता के प्रयत्न करने का आरोप लग रहा है। इस विषय पर मैंने बहुत ही गंभीरता से सोचा। कहीं एक जंगल में एक शेर मर गया, हमारी न्यायपालिका ने स्वप्रेरणा से उस शेर की मृत्यु की चिंता की। सरकार से जवाब मांगा कि शेर जैसे जानवर इस तरह कैसे मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। हमारी न्यायपालिका ने कुछ दिन पहले ही किसी बालक की एक चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए एक लंबी-चौड़ी कार्यवाही की थी और उस बालक की पढ़ाई की व्यवस्था कराई थी। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि न्यायपालिका स्वप्रेरणा से पर्यावरण की भी चिंता करती है, सड़कों पर भी बहुत ध्यान देती है। यदि कहीं सड़क पर गड्ढे हो गए हैं तो न्यायपालिका उसका भी संज्ञान लेती है। दूसरी ओर यह बात भी आश्चर्यजनक है कि कई हत्या से

संबंधित मामले भी 30-40 वर्षों से न्यायालय में लगातार चल रहे हैं। पंजाब में 84 में दंगे हुए थे और जगदीश टाइटलर पर मुकदमा हुआ था। आश्चर्य है कि अभी तक हत्या का यह मुकदमा न्यायपालिका में चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। यह कोई अकेला मामला नहीं है विचारणीय प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमारी न्यायपालिका अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान क्यों नहीं देती है। न्यायपालिका का काम सुरक्षा और न्याय है ना की सड़क, पानी, रेल या जंगली बाघ। यह उसके प्राथमिक कार्य नहीं है लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए हमारी न्यायपालिका हत्या, जालसाजी, बलात्कार जैसे मुकदमों को टाल देती है। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि न्याय और सुरक्षा तंत्र का दायित्व माना जाता है लेकिन न्यायपालिका न्याय और सुरक्षा के मामले में अपने को अकेला जिम्मेदार मानती है। स्पष्ट है कि पुलिस और न्यायालय इन दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि वह आम नागरिकों को सुरक्षा दे, लेकिन हमारी न्यायपालिका पुलिस को न्याय सहायक नहीं मानती है बल्कि एक पक्षकार मानती है। यह हमारी न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है। मैं गंभीरता से कह रहा हूँ यह दोष सबसे बड़ा है कि न्यायपालिका ने अपने को न्याय प्रदाता मान लिया है जबकि न्यायपालिका न्याय सहायक होती है। फिर से समय आ गया है कि हमारी न्यायपालिका अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करें, अपनी परिभाषाओं पर विचार करें कि न्यायपालिका न्याय प्रदाता है अथवा न्याय सहायक।

22. रुपए के हिसाब से डॉलर नहीं चलता, रुपया हमारी आंतरिक और डॉलर दुनिया भर की मुद्रा है:

सायंकालीन सत्र में हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि डॉलर और भारतीय रुपए का क्या संबंध है। मुझे भारत में अनेक ऐसे अर्थशास्त्री और राजनेता मिलते हैं जो आमतौर पर कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में डॉलर की तुलना में रुपया बहुत गिर गया, 84 रुपया हो गया। इस विषय पर मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे इन अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं की बातें पूरी तरह गलत लगी। वास्तविकता यह है कि रुपए के हिसाब से डॉलर नहीं चलता, रुपया हमारी आंतरिक मुद्रा है और डॉलर दुनिया भर की मुद्रा है। स्वतंत्रता के बाद डॉलर और रुपया बराबर था 10 वर्ष पहले जब मोदी सरकार आई तब डॉलर रू. 60 के बराबर हो गया था मतलब 60 गुना करीब-करीब अंतर आ गया था। 10 वर्षों में 60 से बढ़कर 84 हो गया तो करीब डेढ़ गुने का फर्क आया। मुझे इस बात का उत्तर चाहिए कि 60 वर्षों में 60 गुना रुपया ऊपर चला गया और अगर 10 वर्षों में डेढ़ गुना चला गया तो क्या बदलाव आ गया। मेरे विचार से स्वतंत्रता के बाद रुपया लगातार मजबूत हुआ है, चाहे वह नेहरू की सरकार हो या मोदी की। यह आवश्यक है कि पिछले 10 वर्षों में कुछ अधिक मजबूत हुआ है। वास्तव में डॉलर का मूल्य सोने से आंका जाता है। सन 47 में भारत पर जितना कर्ज था उस कर्ज को जितने सोने में पटाया जा सकता था, आज उससे एक चौथाई सोने में ही हम पूरा कर्ज पटा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि रुपया मजबूत हुआ या नहीं हुआ। आपका कागज के रुपए का भारत के बाहर कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो सोने का है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि डॉलर और रुपए की तुलना करते समय तर्क से काम लीजिए, भावना से या प्रचार से नहीं। रुपया लगातार मजबूत हुआ है। इस विषय पर आप सबके चर्चा की प्रतीक्षा रहेगी।

23. समाज और राज्य के बीच शक्ति संतुलन:

14 नवंबर का प्रातःकालीन सत्र है। वर्तमान दुनिया और विशेषकर भारत में समाज व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। स्वतंत्रता के बाद बहुत बदलाव की उम्मीद थी लेकिन बदलाव गलत दिशा में दिख रहा है। देश तो स्वतंत्र हो गया लेकिन समाज को स्वतंत्रता की जगह गुलामी ही मिली है। व्यवस्था को ठीक चलाने के लिए समाज धर्म और राज्य तीनों के बीच शक्ति संतुलन होना चाहिए। तीनों को मिलकर व्यवस्था चलानी चाहिए, तीनों को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए। हमारी धर्म व्यवस्था अपनी बुराइयों के कारण निष्क्रिय हो गई, धर्म व्यवस्था के निष्क्रिय हो जाने से उसका राज्य व्यवस्था ने लाभ उठाया। धर्म और राज्य जब एकजुट हो गए। सारी धर्म व्यवस्था राज्य के हाथों में आ गई तो राज्य ने समाज को बलपूर्वक गुलाम बना लिया। राज्य व्यवस्था ने समाज के सारे अधिकार छीन लिए और अब तक छीनते जा रहे हैं। स्थिति यहां तक आई कि अब समाज को वोट देने के अतिरिक्त कोई ऐसा अधिकार नहीं जिसमें समाज स्वतंत्रता से निर्णय कर सके। स्थिति यहां तक खराब हुई कि राज्य ने समाज से बहिष्कार का भी अधिकार छीन लिया है। अब समाज किसी बुरे आदमी को बहिष्कृत भी नहीं कर सकता है। हर मामले में समाज को राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है, राज्य अप्रत्यक्ष रूप से समाज का मालिक बन गया। धर्म में कोई ताकत रही ही नहीं और समाज को गुलाम बना लिया गया। इस तरह भारत की पूरी समाज व्यवस्था राज्य नियंत्रित हो गई है। अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए कि समाज और राज्य के बीच शक्ति संतुलन कैसा हो गया है और कैसा होना चाहिए। इस मामले में धर्म को भी समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। समस्या बहुत गंभीर है और समस्या पर कोई समाधान निकालना आवश्यक है।

24. समाज के अस्तित्व को अस्वीकारना पश्चिम की नकल:

आज सारी दुनिया में यह बात प्रचारित कर दी गई है कि संविधान समाज का मार्गदर्शन भी करता है और समाज को नियंत्रित भी करता है। यह भ्रम भारत में भी सर्वमान्य सिद्धांत मान लिया गया है जबकि ऐसा मानना पूरी तरह गलत है। समाज संविधान से ऊपर होता है। भारत लंबे समय से समाज को सबसे ऊपर मानता रहा और दुनिया की अन्य सभ्यताएं समाज के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करती है। यही कारण है कि हम भारत के लोगों ने भी गुलामी के बाद पश्चिम की नकल की और समाज के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। यह बहुत विचित्र और गलत मान्यता है कि संविधान समाज से भी ऊपर होता है। सच्चाई यह है कि समाज सबसे ऊपर होता है। समाज एक संविधान का निर्माण करता है उस संविधान के नीचे तंत्र होता है, तंत्र संविधान को पूरी तरह मानने के लिए बाध्य है, तंत्र कानून बनाता है और व्यक्ति उस कानून को पूरी तरह मानने के लिए बाध्य है। इस तरह व्यक्ति अलग होता है और समाज अलग होता है। व्यक्ति सबसे पहली इकाई है और समाज सबसे ऊपर की इकाई है। ना समाज से ऊपर कोई होता है, ना व्यक्ति के नीचे कोई होता है। संविधान बनता है, व्यक्ति की उद्दंडता को नियंत्रित करने के लिए न कि समाज को नियंत्रित करने के लिए। इसलिए हम भारत के लोगों का यह कर्तव्य है कि हम दुनिया को यह बात समझा सके कि समाज सबसे ऊपर की इकाई होती है और व्यक्ति सबसे नीचे की इकाई होती है। संविधान समाज के द्वारा बनाया जाता है, समाज के लिए नहीं।

25. हमारी दोहरी भूमिका क्योंकि इस मार्गदर्शक है:

हम मार्गदर्शक है। समाज का मार्गदर्शन हमारा दायित्व है, सिर्फ स्वैक्षिक कर्तव्य नहीं। स्पष्ट है कि हमें हमेशा दोहरी भूमिका में रहना पड़ता है। हम निरंतर दूसरों से सीखते रहते हैं, हमें दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, हमें समाज विज्ञान का अनुभव होना चाहिए, हमें कभी भी अपने को सर्व ज्ञाता नहीं मानना चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन भर दूसरों से सीखता रहता है। समाज में अनेक लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमसे भी अधिक जानकार हों। जिनकी तर्कशक्ति हमसे भी अधिक हो। दूसरी ओर हमें हर समय दूसरों को ज्ञान देना भी पड़ता है, समाज में ऐसे अनेक लोग हो सकते हैं जो हमसे कम जानकारी रखते हों। हम मार्गदर्शक हैं। स्पष्ट है कि हमसे कम जानकारी रखने वालों की संख्या 90ः तक हो सकती है इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि दूसरे लोग हमसे कम जानते हैं और हम उनका मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार हमें हर समय दोहरी भूमिका में रहना चाहिए। गलती यह होती है कि समाज में कुछ लोग यह मान लेते हैं कि वह कुछ भी नहीं जानते हैं और वह किसी को पूर्ण ज्ञाता मानकर गुरु मान लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अपने को सर्वज्ञ मानकर दूसरों को शिष्य बना लेते हैं। यह दोनों ही बातें गलत है। ना तो कोई व्यक्ति गुरु होता है और ना शिष्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ दूसरे लोगों का गुरु हो सकता है और दूसरे लोगों का शिष्य भी हो सकता है इसलिए हमें हमेशा दोहरी भूमिका में रहना चाहिए। याद रखिए हम मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन करना हमारा दायित्व है, स्वैच्छिक कर्तव्य नहीं। किसी को भी गुरु मानना या शिष्य बनाना यह परंपरा उचित नहीं है। जो भी व्यक्ति जिस विषय का ज्ञाता है वह उस विषय का गुरु है और जो व्यक्ति जिस विषय में हमसे कम जानता है, उस विषय में वह हमारा शिष्य है। एक ही व्यक्ति के कई विषयों पर अलग-अलग गुरु हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति के कई विषयों पर अलग-अलग शिष्य भी हो सकते हैं।

26. गुजरात के अहिंसक गांधी:

आज दोपहर के सत्र में हम इस विषय पर विचार करेंगे कि भारत में गांधी शब्द की इतनी दुर्गति क्यों हुई। यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि भारत के आम जनमानस में गांधी के प्रति एक नफरत का भाव बन गया है। जिस गुजरात से गांधी ने अहिंसा को दुनिया तक पहुंचा दिया और सारी दुनिया अहिंसा का महत्व समझने लग गई, उस गुजरात से नरेंद्र मोदी ने हिंसा का संदेश दिया और धीरे-धीरे दुनिया नरेंद्र मोदी के संदेश को ठीक मान रही है। यह गंभीर प्रश्न है कि इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ। मेरे विचार से इसका सारा दोष भारत के वर्तमान गांधीवादियो को जाता है। गांधीवादी व्यक्तिगत आचरण में बहुत ईमानदार, त्यागी और तपस्वी रहे लेकिन सामाजिक आचरण में उन्होंने हमेशा नासमझी का उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे देश में आपको अब वर्तमान समय में एक दो को छोड़कर ऐसा गांधीवादी नहीं मिलेगा जो कम्युनिस्टों का गुलाम ना हो। भारत के कम्युनिस्ट गांधीवादियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलते हैं और गांधीवादी कम्युनिस्टों की ढाल बन जाते हैं। गांधीवादी आमतौर पर सत्ता की राजनीति से नफरत करते हैं और जब चुनाव आता है तो पूरी तरह नेहरू परिवार के लिए जी जान लगा देते हैं। भारत में गांधीवादियों की एक ही पहचान बन गई है। संघ को दिन-रात गाली देना, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करना और नेहरू परिवार की चापलूसी करना कम्युनिस्ट की गुलामी करना। जो गांधी को समझते, गांधीविचार पर आचरण करते थे वह गांधीवादी लगभग वृद्ध होकर मर चुके हैं अब तो कम्युनिस्ट ही गांधी टोपी पहन कर और खादी पहन कर दिन-रात नक्सलवादियों और मुस्लिम आतंकवादियों की प्रशंसा करते रहते हैं। जब भी नक्सलवादियों पर या आतंकवादी मुसलमान पर सरकार का कोई आक्रमण होता है कि गांधीवादी सामने आकर बैठ जाते हैं। यहां तक कि अगर कम्युनिस्ट आदेश दें कि मनमोहन सिंह का विरोध करना है तो गांधीवादी जंतर मंतर

पर जाकर मनमोहन सिंह के खिलाफ भी नारा लगा सकते हैं क्योंकि गांधीवादियों ने तो सिर्फ कम्युनिस्टों की हां में हां मिलाना ही सीखा। मैं यह दिल से चाहता हूँ कि समाज के सामने गांधी विचार को प्रस्तुत किया जाए, गांधी को प्रस्तुत किया जाए। गांधी का आचरण और गांधी के विचार उस तरह नहीं थे जिस तरह नेहरू के थे लेकिन दुर्भाग्य है कि गांधी के मरने के बाद हमारे गांधीवादियों ने और गांधी विरोधियों ने भी नेहरू को ही गांधी मान लिया। मैं आपको आस्वस्त करता हूँ कि हम सब मिलकर वास्तविक गांधी विचार को समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, आप सबका सहयोग चाहिए।

27. ज़ूम पर होने वाले 'चर्चा' कार्यक्रम से :

कल के रात्रिकालीन चर्चा कार्यक्रम में हम लोग परिवार की भूमिका पर विचार मंथन कर रहे थे। हम लोगों का विषय था कि 'कोई परिवार न सिर्फ उत्पादक होता है, न सिर्फ उपभोक्ता। अधिकांश परिवारों की दोनों भूमिकाएं होती हैं। शासन या उसके लोग इन्हें दो वर्ग मानकर कभी उत्पादक के पक्ष में आवाज लगते हैं तो कभी उपभोक्ता के पक्ष में।' इसी कोटेशन में शासन पक्ष की भूमिका को भी उजागर किया जा रहा है। एक तरफ परिवार है जो मर्यादित रूप से एक है, यह परिवार व्यवस्था हजारों साल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जो स्वयं परिष्त है, सांगठनिक या संस्थागत है, व्यवस्था के नाम पर उसके ऊपर एक नई और बड़ी इकाई आक्रामक हो जाती है। जैसे जल में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती है। यदि शासन को धर्म का भी सहारा मिल जाता है तो शासन हमेशा शासक की भूमिका में ही रहना चाहता है, वह कभी व्यवस्थापक की भूमिका में आएगा ही नहीं। व्यवस्थापक की भूमिका निभाने की उसकी प्रकृति नहीं है क्योंकि वहां जो व्यक्ति हैं वह एक संगठन के अंग बनकर काम करते हैं और अपने अंदरूनी मामलों में सब एक हैं। समाज जो उसका मालिक है उसे कभी वह अपने से बड़ा स्वीकार करने में अवश्य ही अवरोध डालेगा। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी परिवार सिर्फ सदस्य संख्या के आधार पर ही नहीं पहचाना जाता है बल्कि उनके अंदर सहजीविता, सहभागिता और सह-अस्तित्व का भी सवाल जुड़ा होता है। सबको वह समान मानेंगे लेकिन तंत्र के लिए उनकी एकता ही इनका सबसे बड़ा खतरा है। राजनेताओं का प्रयास रहा कि परिवार महिला पुरुष के रूप में विभाजित हो जाए। उम्र और पीढ़ी के आधार पर किशोर, युवा और वृद्ध में विभाजित हो जाए, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक परिवार के आधार पर विभाजित हो जाए, उत्पादक और उपभोक्ता के आधार पर परिवार विभाजित हो जाए। परिवार विभाजन के बाद निश्चित है कि व्यक्ति और समाज कमजोर होगा। समाज सशक्तिकरण परिवार तोड़क वहेलियों के रहते कभी संभव नहीं है।

आज संध्या काल में मैं रामानुजगंज बाजार, आढ़त, सब्जी बाजार घूम रहा था। गोदरमाना बाजार भी घूमने गया था। मैंने सभी दुकानदारों को विक्रेताओं को देखा। मुझे लगा कि यह न सिर्फ एक भूमिका में है बल्कि कई काम एक साथ कर रहे हैं। खुद खरीदार भी हैं और विक्रेता भी हैं, आपूर्तिकर्ता भी है और रोजगार उपलब्ध करवाने वाले भी। सब्जी बेचने वाला उत्पादक है, विक्रेता भी है और जरूरतमंदों के लिए आपूर्तिकर्ता भी है उसके बावजूद सभी उपभोक्ता भी हैं। बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ साहित्यकार, बिचौलिए यदि समाज में कुछ काम करते हैं भले ही गलत दिशा निर्देशन देते होंगे लेकिन उन सब का भी आर्थिक मूल्य होता है। अर्थ प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य उत्पादन कार्य में गिना जाएगा और सेवा, सहायता या जरूरत के लिए करवाए जाने वाले कार्य, वह सभी कार्य उपभोग की श्रेणी में मान्य किया जाना चाहिए। सभी परिवार और परिवार के व्यक्ति एक साथ ही उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी शासन को अपनी इसे राजनीति चमकाने के लिए अलग-अलग वर्ग में बांटने की कोई जरूरत नहीं है। अब समाज को सावधान हो जाना चाहिए।

संजय तांती

पत्र व्यवहार का पता
बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021
website : margdarshak.info

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल
9617079344
mail : Support@margdarshak.info